संख्या-19/2312/26-3-2014-4(24)/2013-टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर, 2014

विषय :- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमिततायें करने वाले शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने तथा मान्यता निरस्त कराने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर)/अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु नियमावलियां प्रख्यापित हैं। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को अधिक पारदर्शी बनाने एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी के अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पी0एफ0एम0एस0(PFMS) प्रणाली का प्रयोग करते हुए कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करने हेतु उपरोक्त नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन किये गये हैं।

2- उ0प्र0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना(तृतीय संशोधन) नियमावली-2014, उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना(तृतीय संशोधन) नियमावली-2014, उ0प्र0 अन्य पिछडा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना(तृतीय संशोधन) नियमावली-2014 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अनियमिततायें पाये जाने पर FIR दर्ज कराने, शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने व मान्यता निरस्त कराने का प्राविधान किया गया है, परन्तु उक्त कार्यवाही करने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने तथा मान्यता निरस्त कराने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

i. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमिततायें पाये जाने पर शिक्षण संस्थान को काली सूची में डालने या मान्यता निरस्त कराने की कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है, जो शिक्षण

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्थानों को काली सूची में डालने एवं मान्यता निरस्त कराने से संबंधित प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेगी :-

1	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से अन्यून हो	सदस्य
3	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से अन्यून हो	सदस्य
4	निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से अन्यून हो	सदस्य
5	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से अन्यून हो	सदस्य
6	तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र(एन0आई0सी0), राज्य इकाई या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	समाज कल्याण निदेशालय में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नामित नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

समिति आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य विभाग अथवा विशेषज्ञ को विशेष आमंत्री के रूप में सम्बद्ध कर सकती है।

ii. किसी भी शिक्षण संस्थान को काली सूची में डालने/मान्यता निरस्त करने की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से निदेशक, समाज कल्याण विभाग को प्रेषित की जायेगी।

iii. उक्त समिति दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर या अनियमितता स्वत: संज्ञान में आने पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरांत जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर काली सूची में डालने या मान्यता निरस्त करने पर विचारोपरांत निर्णय लेगी।

iv. जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति प्राप्त शिकायतों की जॉच कराकर अपनी संस्तुति सहित आख्या <u>विलम्बतम 45 दिनों के अंदर</u> उक्त समिति को प्रेषित करेगी।

v. यदि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की आख्या 45 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं होती है, तो निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति राज्य स्तर से विशेष टीम गठित कर जॉच करायेगी तथा विशेष टीम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही करेगी।

vi. जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्धारित अवधि में रिपोर्ट न प्राप्त होने की दशा में उक्त समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के सदस्य सचिव(जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी।

vii. निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से काली सूची में डालने व मान्यता निरस्त करने संबंधी आख्या के आधार पर विचारोपरांत संबंधित शिक्षण संस्थान को <u>कारण बताओ नोटिस</u> निर्गत कर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त काली सूची में डालने या मान्यता निरस्त करने का निर्णय लिया

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा। शिक्षण संस्थान को कारण बताओ नोटिस में शिक्षण संस्थान द्वारा की गयी अनियमितता का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उसे काली सूची में डालने या मान्यता निरस्त करने का निर्णय लिया जाना है।

viii. निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति ऐसे सभी प्रकरणों में संज्ञान में आने की तिथि से विलम्बतम 90 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लेगी।

ix. उक्त समिति के द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्रवृत्ति के मास्टर डाटाबेस में संबंधित शिक्षण संस्थान का विवरण Block कर दिया जायेगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी संबंधित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति एवं संबंधित शिक्षण संस्थान को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

x. किसी एक वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अनियमिततायें किये जाने पर उसे सभी वर्गों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए काली सूची में डाला जायेगा।

xi. काली सूची में अन्तरित किया गया शिक्षण संस्थान आगामी 5 वर्षों के लिए सभी पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अयोग्य हो जायेगा। उक्तानुसार काली सूची में अन्तरित शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा से 5 वर्षों के लिए प्रतिबन्धित किया जायेगा।

xii. काली सूची में अंतरित किये गये शिक्षण संस्थानों की मान्यता निरस्त कराने हेतु निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के माध्यम से शिक्षण संस्थान के शासन के प्रशासकीय विभाग से अनुरोध किया जायेगा। शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान की मान्यता निरस्त करने के संबंधी यथोचित आदेश नियमानुसार पारित कर अथवा कराकर उसकी एक प्रति निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित की जायेगी। निदेशक, समाज कल्याण उक्त आदेश को यथासमय छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर प्रदर्शित करायेगें।

3. वर्ष 2013-14 में कतिपय शिक्षण संस्थानों के द्वारा अपने शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम संचालित न होते हुए भी उन पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं अग्रसारण किया गया है। इसका संज्ञान सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी को उस पाठ्यक्रम की मास्टर डाटाबेस में फीस भरने हेतु निर्देशित करने पर हुआ। उनके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि संबंधित पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थान में संचालित ही नहीं है। अतएव उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों की फीस मास्टर डाटाबेस में नहीं भरी गयी। इस प्रकार के प्रकरणों से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर उन शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति के दृष्टिकोण से काली सूची में अन्तरित करने का निर्णय निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।

4. कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा उनके शिक्षण संस्थान में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न होते हुए छात्र/छात्राओं द्वारा उनके शिक्षण संस्थान से पूर्व में जमा किये गये अभिलेखों के आधार पर आनलाइन आवेदन पत्र भरने, सत्यापित व अग्रसारित करने के प्रकरण संज्ञान में आये हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों के द्वारा नि:संदेह शासकीय धनराशि को हडपने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए उनके

http://shasanadesh.up.nic.in

विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे शिक्षण संस्थानों के द्वारा आनलाइन प्रक्रिया आरम्भ होते ही आनलाइन सत्यापन व अग्रसारण का कार्य कर दिया जा रहा है, जिसके कारण छात्र के वास्तविक संस्थान द्वारा सत्यापन व अग्रसारण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में शासनादेश संख्या-2242/26-3-2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5. राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र की राज्य इकाई के द्वारा शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालने संबंधी समस्त प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करने हेतु एक ऑनलाइन साफ्टवेयर विकसित की जायेगी, जिस पर सभी आवश्यक विवरण निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य सचिव द्वारा अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था भी की जाय कि जिन शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डाला जाना है, उससे संबंधित प्रकरणों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक वर्ष के मई माह के अंत तक अनिवार्य रूप से ले लिया जाय तथा काली सूची में डाले गये शिक्षण संस्थानों की सूची विलम्बतम 07 जून तक छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाय ताकि नये छात्र को प्रवेश लेने के पूर्व शिक्षण संस्था के संबंध में अद्यावधिक व प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सके।

भवदीय
आलोक रंजन
मुख्य सचिव

<u>पृष्ठांकन सं0-2312(1)/26-3-2014 तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च् शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछडा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in